संख्या-009/वी.जी.एल/055

भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
*****

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 09.11.2009

<u>परिपत्र सं-31/10/09</u>

विषय: दिनांक 18.05.2007 के मै0 केटरपिल्लर इंडिया प्रा0 लि0 बनाम वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि0 तथा अन्य के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के उत्पादों तथा सेवाओं के लिए खरीद अधिमान नीति की समीक्षा ।

उपर्युक्त विषय पर लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 21.11.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं0 डीपीई/13(15)/2007-वित्त द्वारा दिशानिर्देश जारी किए हैं जो लोक उद्यम विभाग के दिनांक 18.07.2005 के पिछले दिशानिर्देशों को दोहराता है कि दिनांक 31.03.2008 से खरीद अधिमान नीति समाप्त की जाती है । इसके अतिरिक्त, इसमें यह भी प्रावधान है कि संसद के सम्बद्ध अधिनियम के अंतर्गत अथवा अन्य प्रकार से, संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों के लिए तैयार की गई अधिमान्य नीति इन दिशानिर्देशों की सीमा में नहीं आती है । तथापि, लोक उद्यम विभाग का दिनांक 21.11.2007 का कार्यालय ज्ञापन यह निर्धारित करता है कि संबंधित मंत्रालय/विभाग अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए अधिमान्य नीति अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वतंत्र रूप से तैयार/समीक्षा करें । संदर्भ के लिए लोक उद्यम विभाग के दिनांक 21.11.2007 के कार्यालय ज्ञापन की प्रति संलग्न है ।

2. आयोग यह अपेक्षा करता है कि यदि किसी मंत्रालय/विभाग ने लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुवर्ती, खरीद अधिमान नीति तैयार की है तो इसको आयोग के ध्यान में लाया जाए ।

ह0/-
(शालिनी दरबारी)
निदेशक

संलग्न: यथा उपरोक्त

सभी मंत्रालयों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी